प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 124/2024 (अपील सूचना का अधिकार)
भगवान सिंह निवासीः 78 हरि मार्ग, सिविल लाईन्स, जयपुर–6

..............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथमअपीलीयअधिकारीएवंजिलाकलक्टर उदयपुर (राज.)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 08/10/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 25.07.2024 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रस्तुत कर प्रमुख सचिव कार्मिक द्वारा जिला प्रशासन उदयपुर के विरूद्ध प्रेषित शिकायत के संबंध में सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई सूचना असम्बद्ध और मिसलिडिंग होने से अपीलार्थी द्वारा क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/124/24/1053–54 दिनांक 10.09.2024 से लिखा गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र कमांक प.41/2/सू.अ./प्रथम अपील 124/2024/961 दिनांक 27.09.2024 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 02.08.2024 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। उक्त प्रार्थना पत्र में वांछित सूचना का संबंध स्थापना अनुभाग से होने से इस कार्यालय के पत्रांक 727–29 दिनांक 05.08.2024 द्वारा पत्राचार किया गया। उक्त अनुभाग से प्राप्त सूचना प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 794 दिनांक 13.08.2024 से जरिये रजिस्टर्ड डाक उपलब्ध करवा दी गई थी। प्रार्थी द्वारा उक्त सूचना से असंतुष्ट होने से प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम में पुनः संबंधित अनुभाग से सूचना चाहने हेतु इस कार्यालय द्वारा पत्रांक 903–05 दिनांक 12.09.2024 से पत्राचार किया गया। उक्त अनुभाग से प्राप्त सूचना प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 949 दिनांक 25.09.2024 से जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवा दी गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील निस्तारित करने की कृपा करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब जरिये पत्रांक 9616 दिनांक 27.09.2024 अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 794 दिनांक 13.08.2024 से सूचना उपलब्ध करवा दी गई। अपीलार्थी द्वारा प्रेषित की गई सूचना से असंतुष्ट होने से इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जिसके उपरान्त प्रत्यर्थी द्वारा पुनः पत्रांक 949 दिनांक 25.09.2024 से अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की गई।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

चूंकि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई वांछित सूचना ज़रिये पत्रांक 949 दिनांक 25.09.2024 से जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित की जा चुकी है। अतः प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नहीं रह जाने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर